रजि. सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 70] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 19, 1981/माघ 30, 1902
No. 70] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 1981/MAGHA 30, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1981

का०आ० 106(अ).—केन्द्रीय सरकार का, उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद जिले में राजा का सहसपुर स्थित, चीनी का विनिर्माण कर रही, अयोध्या चीनी मिल्स, जो अधिसूचित चीनी उपक्रम है, के सम्बन्ध में, इस दृष्टि से कि चीनी उद्योग में उत्पादन की मात्रा में कमी न आने पाये, यह समाधान हो गया है कि सर्वसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 218 (अ), तारीख 28 मार्च, 1980 के अनुक्रम में यह घोषणा करती है कि ऊपर वर्णित अधिसूचना के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति हस्तांतरण पत्रों, करारों व्यवस्थानों, पंचाटों, स्थाई आदेशों या अन्य लिखतों (उनसे भिन्न, जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित है) से प्रोद्भूत या उदभूत होने वाली सभी बाध्यताओं और दायित्वों पर, जिनका उक्त चीनी उपक्रम या उक्त चीनी उपक्रम का स्वामी एक पक्षकार है या जो उक्त चीनी उपक्रम या ऐसे व्यक्ति को लागू किए जा सकते हैं, प्रवृत्तन 28 मार्च, 1981 से एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिये निलम्बित रहेगा।

[फा० सं० 13-1/80-एन०एस०यू०-ए०]

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Food)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 19th February, 1981

S.O. 106(E).—Whereas the Central Government is satisfied that in relation to the Ajudhia Sugar Mills Manufacturing Sugar at Raja-Ka-Sahaspur in the district of Muradabad in the State of Uttar Pradesh, being the notified sugar undertaking, it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing the fall in the volume of production of the sugar industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. S.O. 218(E), dated the 28th March, 1980, the Central Government hereby declares that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the above-mentioned notification (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said

sugar undertaking or the person owning the said sugar undertaking is a party, or which may be applicable to the said sugar undertaking or the person, shall remain suspended for a further period of one year from the 28th March, 1981.

[File No. 13-1/80-NSU-A]

का०आ० 107(अ).—केन्द्रीय सरकार का, उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में लक्सर स्थित, चीनी का विनिर्माण कर रही, राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स लिमिटेड, जो अधिसूचित चीनी उपक्रम है, के संबंध में, इस दृष्टि से चीनी उद्योग में उत्पादन की मात्रा में कमी न आने पाए, यह समाधान हो गया है कि सर्वसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार चीनी उपक्रम, (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 219 (अ), तारीख 28 मार्च, 1980 के अनुक्रम में यह घोषणा करती है कि ऊपर वर्णित अधिसूचना के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थाई आदेशों या अन्य लिखतों (उनसे भिन्न, जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित है) से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाधाओं और दायित्वों का जिनका उक्त चीनी उपक्रम या उक्त चीनी उपक्रम का स्वामी एक पक्षकार है या जो उक्त चीनी उपक्रम या ऐसे व्यक्ति को लागू किए जा सकते है, प्रवृत्तन 28 मार्च, 1981 से एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिये निलम्बित रहेगा।

[फा०सं० 13-1/80-एन०एस०यू०बी०]

S.O. 107(E).—Whereas the Central Government is satisfied that in relation to the Rai Bahadur Narain Singh Sugar Mills Limited, manufacturing sugar at Lhaksar in the district of Saharanpur in the State of Uttar Pradesh, being the notified sugar undertaking, it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing the fall in the volume of production of the sugar industry ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2) of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. S.O. 219(E), dated the 28th March, 1980, the Central Government hereby declares that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the above-mentioned notification (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said sugar undertaking or the person owning the said sugar undertaking is a party, or which may be applicable to the said sugar undertaking or the person, shall remain suspended for a further period of one year from the 28th March, 1981.

[File No. 13-1/80-NSU-B]

का०आ० 108(अ).—केन्द्रीय सरकार का, उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिले में बैतालपुर स्थित, चीनी का विनिर्माण कर रही, श्री सीता राम शुगर कम्पनी लिमिटेड, जो अधिसूचित चीनी उपक्रम है, के संबंध में इस दृष्टि से कि चीनी उद्योग में उत्पादन की मात्रा में कमी न आने पाए यह समाधान हो गया है कि सर्वसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 220 (अ), तारीख 28 मार्च, 1980 के अनुक्रम में यह घोषणा करती है कि ऊपर वर्णित अधिसूचना के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थाई आदेशों या अन्य लिखतों से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाधाओं और दायित्वों का जिनका उक्त चीनी उपक्रम या, उक्त चीनी उपक्रम का स्वामी एक पक्षकार है या जो उक्त चीनी उपक्रम या ऐसे व्यक्ति को लागू किए जा सकते हैं, प्रवृत्तन 28 मार्च, 1981 से एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिये निलम्बित रहेगा।

[फा०सं० 13-1/80-एन०एस०यू०-सी०]

S.O. 108(E).—Whereas the Central Government is satisfied that in relation to the Shree Sitaram Sugar Company Limited, manufacturing sugar at Baitalpur in the district of Deoria in the State of Uttar Pradesh, being the notified sugar undertaking, it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing the fall in the volume of production of the sugar industry ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. S.O. 220(E), dated the 28th March, 1980, the Central Government hereby declares that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the above-mentioned notification to which the said sugar undertaking or the person owning the said sugar undertaking is a party, or which may be applicable to the said sugar undertaking or the person, shall remain suspended for a further period of one year from the 28th March, 1981.

[File No. 13-1/80-NSU-C]

का० आ० 109(अ).—केन्द्रीय सरकार का, उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिले में देवरिया स्थित, चीनी का विनिर्माण कर रही, देवरिया चीनी मिल्स लिमिटेड, जो अधिसूचित चीनी उपक्रम है, के सम्बन्ध में, इस दृष्टि से कि चीनी उद्योग में उत्पादन की मात्रा मे कमी न आने पाए, यह समाधान हो गया है कि सर्वसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है।

अत , केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कृषि मन्त्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 221(अ), तारीख 28 मार्च, 1980 के अनुक्रम मे यह घोषणा करती है कि उपर वर्णित अधिसूचना के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी सविदाओं, सम्पत्ति हस्तान्तरण पत्रों, करारो, व्यवस्थापनो, पंचाटों स्थाई आदेशो या अन्य लिखतों से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाधाओं और दायित्वो का, जिनका उक्त चीनी उपक्रम या उक्त चीनी उपक्रम का स्वामी एक पक्षकार है या जो उक्त चीनी उपक्रम या ऐसे व्यक्ति को लागू किये जा सकते हैं, प्रवृत्तन 28 मार्च, 1981 से एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिये निलम्बित रहेगा।

[फा०सं० 13-1/80-एन०एस०यू०-डी०]

S.O. 109(E).—Whereas the Central Government is satisfied that in relation to the Deoria Sugar Mills Limited, manufacturing sugar at Deoria in the district of Deoria in the State of Uttar Pradesh being, the notified sugar undertaking, it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing the fall in the volume of production of the sugar industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), and in continuation of the notification of

the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. S.O. 221(E), dated the 28th March, 1980, the Central Government hereby declares that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the above mentioned notification to which the said sugar undertaking or the person owning the said sugar undertaking is a party, or which may be applicable to the said sugar undertaking or the person, shall remain suspended for a further period of one year from the 28th March, 1981.

[File No. 13-1/80-NSU-D]

का०आ० 110(अ).—केन्द्रीय सरकार का महाराष्ट्र राज्य के बुल्दाना जिले में शंकरनगर स्थित चीनी का विनिर्माण कर रही जीजामाता सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, जो अधिसूचित चीनी उपक्रम है, के संबंध में, इस दृष्टि से कि चीनी उद्योग में उत्पादन की मात्रा में कमी न आने पाए, यह समाधान हो गया है कि सर्वसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 222(अ), तारीख 28 मार्च, 1980 के अनुक्रम में यह घोषणा करती है कि ऊपर वर्णित अधिसूचना के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थाई आदेशों या अन्य लिखितों (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं) से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाध्यताओं और दायित्वों का, जिनका उक्त चीनी उपक्रम या उक्त चीनी उपक्रम का स्वामी एक पक्षकार है या जो उक्त चीनी उपक्रम या ऐसे व्यक्ति को लागू किए जा सकते हैं प्रवृत्तन 28 मार्च, 1981 से एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिये निलम्बित रहेगा।

[फा० सं० 13-1/80 एन एस०यू-ई]

S.O. 110(E).—Whereas the Central Government is satisfied that in relation to the Jijamata Sahkari Sakhar Karkhana Limited, manufacturing sugar at Shankarnagar in the district of Buldana in the State of Maharashtra, being the notified sugar undertaking it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing the fall in the volume of production of the sugar industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. S.O. 222(E), dated the 28th March, 1980, the Central Government hereby declares that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the above-mentioned notification (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said sugar undertaking or the person owning the said sugar undertaking is a party, or which may be applicable to the said sugar undertaking or the person, shall remain suspended for a further period of one year from the 28th March, 1981.

[File No. 13-1/80-NSU-E]

का०आ० 111(अ).—केन्द्रीय सरकार का, उत्तर प्रदेश राज्य के गोण्डा जिले में बब्भनान स्थित, चीनी का विनिर्माण कर रही, सैक्सरिया चीनी मिल्स लिमिटेड, जो अधिसूचित चीनी उपक्रम है, के संबंध में, इस दृष्टि से कि चीनी उद्योग में उत्पादन की मात्रा में कमी न आने पाए, यह समाधान हो गया है कि सर्वसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 223(अ), तारीख 28 मार्च, 1980 के अनुक्रम में यह घोषणा करती है कि ऊपर वर्णित अधिसूचना के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं सम्पत्ति हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों स्थाई आदेशों या अन्य लिखितों (उनसे भिन्न, जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं) से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाध्यताओं और दायित्वों का, जिनका उक्त चीनी उपक्रम या उक्त चीनी उपक्रम का स्वामी एक पक्षकार है या जो चीनी उपक्रम या ऐसे व्यक्ति को लागू किए जा सकते हैं, प्रवृत्तन 28 मार्च, 1981 से एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिये निलम्बित रहेगा।

[फा० सं० 13-1/80 एन एस०यू-एफ]

S.O. 111(E).—Whereas the Central Government is satisfied that in relation to the Seksaria Sugar Mills Limited, manufacturing sugar at Babhnan in the district of Gonda in the State of Uttar Pradesh, being the notified sugar undertaking, it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing the fall in the volume of production of the sugar industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. S.O. 223(E) dated the 28th March, 1980, the Central Government hereby declares that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the above-mentioned notification (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said sugar undertaking or the persons owning the said sugar undertaking is a party, or which may be applicable to the said sugar undertaking or the persons shall remain suspended for a further period of one year from the 28th March, 1981.

[File No. 13-1/80-NSU-F]

का०आ० 112 (अ).—केन्द्रीय सरकार का, तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली जिले में पेट्टाईवेटालई स्थित, चीनी का निर्माण कर रही, कावेरी शुगर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, कावेरी कारखाना जो अधिसूचित चीनी उपक्रम है, के संबंध में, इस दृष्टि से कि चीनी उद्योग में उत्पादन की मात्रा में कमी न आने पाए, यह समाधान हो गया है कि सर्वसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 224 (अ), तारीख 28 मार्च, 1980 के अनुक्रम में यह घोषणा करती है कि ऊपर वर्णित अधिसूचना के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं सम्पत्ति हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थाई आदेशों या अन्य लिखितों (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित है) से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाध्यताओं और दायित्वों का, जिनका उक्त चीनी उपक्रम या उक्त चीनी उपक्रम का स्वामी एक पक्षकार है या जो उक्त चीनी उपक्रम या ऐसे व्यक्ति को लागू किए जा सकते हैं, प्रवृत्तन 28 मार्च, 1981 से एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिये निलम्बित रहेगा।

[फा०सं० 13-1/80एनएसयू-जी]

S.O. 112(E).—Whereas the Central Government is satisfied that in relation to the Cauvery Sugar and Chemicals Limited,

Cauvery Factory, manufacturing sugar at Pettaivaytalai in the district of Tiruchirapalli in the State of Tamil Nadu, being the notified sugar undertaking, it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing the fall in the volume of production of the sugar industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act 1978 (49 of 1978), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. S.O. 224(E), dated the 28th March, 1980, the Central Government hereby declares that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the above mentioned notification (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said sugar undertaking or the person owning the said sugar undertaking is a party, or which may be applicable to the said sugar undertaking or the person, shall remain suspended for a further period of one year from the 28th March, 1981.

[File No. 13-1/80-NSU-G]

का० आ० 113 (अ).—केन्द्रीय सरकार का, राजस्थान राज्य के बूंदी जिले में केशोरायपाटन स्थित, चीनी का विनिर्माण कर रही, श्री केशोरायपाटन सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, जो अधिसूचित चीनी उपक्रम है, के संबंध में, इस दृष्टि से कि चीनी उद्योग में उत्पादन की मात्रा में कमी न आने पाए, यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतः केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 225 (अ), तारीख 28 मार्च, 1980 के अनुक्रम में यह घोषणा करती है कि ऊपर वर्णित अधिसूचना के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थाई आदेशों या अन्य लिखतों (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं) को प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाध्यताओं और दायित्वों का, जिनका उक्त चीनी उपक्रम या उक्त चीनी उपक्रम का स्वामी एक पक्षकार है या जो उक्त चीनी उपक्रम या ऐसे व्यक्ति को लागू किए जा सकते हैं, प्रवर्तन 28 मार्च, 1981 से एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिये निलम्बित रहेगा।

[फा०सं० 13-1/80-एन०एस०यू-जी]

सी० एन० राघवन, संयुक्त सचिव

S.O. 113(E).—Whereas the Central Government is satisfied that in relation to the Shri Keshoraipatan Sahkari Sugar Mills Limited, manufacturing sugar at Keshoraipatan in the district of Bundi in the State of Rajasthan, being the notified sugar undertaking, it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing the fall in the volume of production of the sugar industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. S.O. 225(E), dated the 28th March, 1980, the Central Government hereby declares that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements settlements, awards, standing orders, or other instruments in force immediately before the date of issue of the above-mentioned notification (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said sugar undertaking or the person owning the said sugar undertaking is a party, or which may be applicable to the said sugar undertaking or the persons shall remain suspended for a further period of one year from the 28th March, 1981.

[File No. 13-1/80-NSU-H]

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981